

न्यायालय - भूमि सुधार उप-समाहर्ता, खूँटी

दा० खा० अपील वाद सं०- 64/2019-20



शांति देवी पति श्री मोहर साहू
ग्राम-बारकुली, थाना-तोरपा, जिला-खूँटी।

- अपीलकर्ता

बनाम्

अंचल अधिकारी, तोरपा।

- विपक्षी

आदेश का क्रम सं० एवं तारीख	आदेश	की गई कार्रवाई										
10.02.20	<p>अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।</p> <p>आवेदक ने वर्तमान वाद दा० खा० वाद सं०-64R27/18-19 में अंचल अधिकारी, तोरपा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.08.18 के विरुद्ध अपील दाखिल किया है जो निम्नवर्णित भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित है:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>मौजा</th> <th>थाना/थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>प्लॉट नं०</th> <th>रकबा(एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>बारकुली</td> <td>तोरपा 19</td> <td>19</td> <td>849</td> <td>0.18</td> </tr> </tbody> </table> <p>अपीलकर्ता के अपील आवेदन एवं अंचल अधिकारी, खूँटी के आदेश की अभिप्रमाणित प्रति को देखा एवं अपील संस्थित करने व सुनवाई का पर्याप्त आधार पाते हुये उक्त दा० खा० अपील वाद में अंगीकार किया गया। आवेदक कथन करते हैं कि मौजा बारकुली थाना तोरपा थाना नं० 19 जिला खूँटी के अन्दर खाता नं० 19 प्लॉट नं० 849 रकबा 3.60 एकड़ आर. एस. खतियान में खुईयु तेली के नाम से कायमी खतियान दर्ज है। उक्त खाता के खतियानी रैयत वर्षों पूर्व में ही आपसी बँटवारा कर लिये हैं। वो सभी के उत्तराधिकारी अपने-अपने हिस्से के भूमि पर शांतिपूर्वक दखलकार हो कर सामुहिक रूप से लगान देकर रसीद लेते आये हैं जो राजस्व पंजी-II के भाग सं० 1 पृष्ठ सं० 19 में दर्ज है। भू-स्वामी रामचन्द्र कांसी पिता स्व० परिवाल साहु को खाता नं० 19 प्लॉट नं० 849 रकबा 3.60 डीसमील मध्ये रकबा 0.18 डीसमील हिस्सा में मिला है जिसे बिक्री कर रहे हैं।</p> <p>अंचल अधिकारी, तोरपा के प्रतिवेदन अनुसार आवेदक द्वारा दस्तावेज जमा नहीं किये जाने के कारण नामांतरण अस्वीकृत की गयी है।</p> <p>अधिवक्ता के द्वारा उक्त वाद से संबंधित दस्तावेज न्यायालय में दाखिल किया गया है जो अभिलेख में संलग्न है।</p> <p>अधिवक्ता के बहस को सुना एवं दाखिल किये गये कागजातों का अवलोकन करने के पश्चात् अंचल अधिकारी, तोरपा को Remand करते हुए निर्देश दिया जाता है कि आवेदक से राजस्व दस्तावेज प्राप्त कर दाखिल खारिज हेतु विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करे। साथ ही आवेदक अंचल अधिकारी के समक्ष वांछित कागजात प्रस्तुत करे।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p> 10/02/20 भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p> <p> 10/02/20 भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p>	मौजा	थाना/थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा(एकड़ में)	बारकुली	तोरपा 19	19	849	0.18	
मौजा	थाना/थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा(एकड़ में)								
बारकुली	तोरपा 19	19	849	0.18								